

16/12/19

पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता उपस्थित। वादी एवं अधिवक्ता के बार-बार आवाजे दिलाई गई। अब समय 4 बजे 30 मिनट हो गये हैं। भोर आवाजे दिलाई गरी वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विजय मालवीय उपस्थित होकर जाहिर किया कि उक्त ज.प्र आदेश न नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद खारीज किया जावे। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। इस कारण प्रार्थना-पत्र पर निर्णय किया जाना उचित नहीं है। वादी का वाद अदम एजरी व अइम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर कायिल दफ्तर हो।



जज का कार्यालय
जायपुर

